

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2016

सा.का.नि. 302(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कष्ट अन्वेषण कार्यालय समूह 'ख' पद राजपत्रित अभियोजक 2 भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोभ किया गया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कष्ट अन्वेषण कार्यालय में अभियोजक और ज्येष्ठ अभियोजक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कष्ट अन्वेषण कार्यालय, अभियोजक और ज्येष्ठ अभियोजक भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है:

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अभियोजक	5 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह- 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 रुपए - ग्रेड वेतन 4800 रुपए	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परीबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्फीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यक (i) किसी भी विषय में स्नातक : विधि में बैचलर डिग्री तथा किसी सरकारी संगठन मुकदमें बाजी और न्यायालय मामले/विधि के प्रशासन में एक वर्ष का अनुभव; या (ii) विधि (5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में एकीकृत स्नातक किसी सरकारी संगठन में मुकदमेबाजी करने तथा न्यायालय मामले/विधि के प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव; वांछनीय (i) कारपोरेट/दांडिक विधि मामले में एक वर्ष का अतिरिक्त अनुभव (ii) विधि में मास्टर (एम.एल.एम.) टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक	लागू नहीं होता	दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के अधीन रहते हुए दो वर्ष।

	<p>सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है/हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	
<p>भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।</p>	<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	
(10)	(11)	
<p>सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p>	<p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी:</p>
	<p>(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रुपए - ग्रेड वेतन 4600 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए या इसके समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; या</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:</p> <p>टिप्पण:</p> <p>(i) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उस वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (1) निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय -अध्यक्ष (2) अपर निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय -सदस्य (3) उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. ज्येष्ठ अभियोजक	5* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह- 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 3, 15600-39100 स्तर ग्रेड वेतन 5400 स्तर	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) प्रोन्नति: वेतन बैंड-2 9300-34,800 रुपये ; ग्रेड वेतन 4900 रुपये में ऐसे विभागीय अभियोजक जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण:</p> <p>1. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु वह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>2. प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे ऊँचे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन योग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/कानूनी या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी: (ख) (i) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या</p>

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रुपए ग्रेड वेतन 4800 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रुपए ग्रेड वेतन 4600 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है।

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:

आवश्यक:

(क) (i) किसी भी विषय में स्नातक + विधि में बैचलर डिग्री तथा किसी सरकारी संगठन में मुकदमें बाजी और न्यायालय मामले/विधि के प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव या

(ii) विधि (5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में एकीकृत स्नातक किसी सरकारी संगठन में मुकदमेबाजी करने तथा न्यायालय मामले/विधि के प्रशासन में तीन वर्ष का अनुभव;

वांछनीय

(i) कारपोरेट/दांडिक विधि मामले में एक वर्ष का अतिरिक्त अनुभव

(ii) विधि में मास्टर (एल.एल.एम.)

टिप्पण:

(i) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(1) निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय	-अध्यक्ष
(2) अपर निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय	-सदस्य
(3) उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	-सदस्य

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2016

G.S.R. 302(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs Group "B" Post Gazetted Prosecutor-II Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Prosecutor and Senior Prosecutor in the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Prosecutor and Senior Prosecutor, Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, Age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, Age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—There the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Prosecutor.	05 * (2016) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group-'B' Gazetted Non-Ministerial.	Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4800.	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
<p>Not exceeding 30 years</p> <p>(Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)</p> <p>Note: The crucial date for determining the Age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, The Union Territories of Andaman and Nicobar Islands or Lakshwadeep).</p>	<p><u>Essential</u></p> <p>(I) Graduate in any discipline plus bachelor's degree in Law plus 1 year experience in handling litigation & court matters/administration of Law in a Government organization; or</p> <p>(II) Integrated graduate in Law (5 years duration) plus 2 years' experience in handling litigation & court matters/ administration of Law in a Government organization.</p> <p><u>Desirable</u></p> <p>(I) additional one year experience in corporate/criminal Law matters.</p> <p>(II) Masters in Law (LLM).</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Two years subject to successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.</p>

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
<p>By Direct Recruitment Failing which by Deputation (Including Short-term Contract).</p>	<p><u>Deputation (Including Short-term Contract)</u></p> <p>Officers from the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Autonomous and Statutory bodies :</p> <p>(A)(I) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre-department; or</p> <p>(II) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on</p>

	<p>a regular basis in the Pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4000 or equivalent in the parent Cadre or Department: or</p> <p>(III) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay Rs. 4200 or equivalent in the parent Cadre or Department: and</p> <p>(B) Possessing the educational qualifications and experience as prescribed for Direct Recruits in Col 7.</p> <p>Note: [i] For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended, based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>(ii) Period of deputation including period of deputation [including short-term contract] in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall be for a period of three years. The maximum Age-limit for appointment by deputation [including short-term contract] shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application.</p>
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation:</p> <p>(1) Director, Serious Fraud Investigation Office - Chairman;</p> <p>(2) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office - Member;</p> <p>(3) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Senior Prosecutor.	5 * (2016) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group-'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-3 Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400.	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years of probation.

(10)	(11)
50% by Promotion Failing which by Deputation including short-term contract. 50% by Deputation Including Short-Term Contract.	<p>Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract)</p> <p><u>Promotion:</u></p> <p>The Departmental Prosecutor in Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4800 with two years of regular service in the grade.</p> <p><u>Note 1 - Where Juniors have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are</u></p>

not short of the requisite qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service

Note 2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission

Deputation (Including Short-Term Contract)

Officers under the Central/State Government/union territories-public sector undertakings/statutory and autonomous bodies

(A) (I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(II) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or

(III) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and

(B) Possessing the following educational qualifications and experience

Essential:-

(A)(I) Graduate in any discipline plus bachelor's degree in Law plus two years experience in handling litigation & court matters/administration of Law in a Government organization; or

(II) Integrated graduate in Law (5 years duration) plus 3 years experience in handling litigation & court matters/administration of Law in a Government organization.

Desirable

(I) Additional One year experience in corporate/criminal Law matters.

(II) Masters in Law (I.L.M).

Note: [i] Period of deputation including period of deputation [including short-term contract] in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall be for a period of three years. The maximum Age-limit for appointment by deputation [including short-term contract] shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application.

(ii): For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended, based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation: (1) Director, Serious Fraud Investigation Office - Chairman: (2) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office - Member: (3) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

